Affairs have not issued any general instruction in regard to those employees who did not come to office in time, as this was an administrative matter to be dealt with by the appropriate authorities on merits. The various administrative authorities, including the Director General, Posts and Telegraphs, had accordingly taken decisions in this matter on administrative expediency in regard to the staff working under them. These decisions could, obviously, be not uniform.

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मध्य प्रदेश को घटिया बीज दिया जाना

*1453. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय बीज निगम ने मध्य प्रदेश को ज्वार के घटिया संकर बीज दिये हैं जबकि निगम ने अन्य राज्यों को बढ़िया किस्म के बीज दिये हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) खराब किस्म के बीज दिये जाने के लिये जिसके कारण किसानों को हानि उठानी पड़ी, कौन व्यक्ति उत्तरदायी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को संकर ज्वार के बीज की निम्न मात्रायें संभरित की गयी थीं :

खरीफ 1966	140 क्विंटल
खरीफ 1967	1019 क्विंटल
खरीफ 1968	कुछ नहीं

निगम द्वारा संभरित बीज गारंटीकृत शुद्धता और अंकुरण क्षमता के प्रामाणित बीज हैं । मध्य प्रदेश सरकार से केवल दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं । एक शिकायत खरीफ, 1966 में संभरित 12 क्विंटल संकर ज्वार के बीजों से सम्बन्धित थी, यद्यपि इसकी अंकुरण क्षमता काफी ठीक थी फिर भी निगम द्वारा यह वापिस ले लिया गया ।

मध्य प्रदेश से प्राप्त दूसरी शिकायत राज्य में खरीफ, 1967 के दौरान उत्पादित संकर ज्वार के बीजों से सम्बन्धित है । बीज का परिसंस्करण किया गया और थैलों में भर कर निगम की शीलें और टैग उन पर लगा दिये गये । कुछ ढेरों के मामले में जो कि राज्य सरकार द्वारा उत्पादकों से पहले ही खरीद लिये गये थे, उनकी अंकुरण क्षमता को प्रयोगशाला-परीक्षणों की रिपोर्ट के मिलने पर निम्न स्तर का पाया गया । निगम ने तदनुसार राज्य सरकार को सलाह दी कि बीज का मूल्य चूंकि पहले ही अदा किया जा चुका था, अतः राज्य सरकार ने निगम से क्षतिपूर्ति की मांग की है । यह मामला विचाराधीन है ।

Allotment of Wheat Quota to Flour Mills in Haryana

*1454. SHRIMATI JYOTSNA CHANDA : Will the Minister of FOOD AND AGRICULTURE be pleased to state :

(a) the present position regarding the allotment of wheat quota to the flour Mills in Haryana ;

(b) whether the mills in question are now being allotted quota according to their grinding capacity ;

(c) if not, the reasons for the same;

(d) whether their grinding capacity has not been recognised so far ; and

(e) if so, the steps which Government propose to take in the matter and ensure the full utilisation of the capacity ?